



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN:U32201UP1999SGC024928.

संख्या- 508-अधि0प्रब0-03/पाकालि/2021-3(651)ई0एम0-03/2017

दिनांक: 22 मार्च, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं विद्युत वितरण निगमों में कार्यरत अवर अभियन्ताओं एवं उच्च स्तर के पदों पर कार्यरत समकक्ष कर्मिकों को विभागीय कार्य हेतु "स्वयं पोषित एवं प्रतिपूर्ति योजना" के अन्तर्गत लैपटॉप क्रय किये जाने हेतु कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0-363-कार्य/चौदह-पाकालि/2020-3-के/2000-टी0सी0-2018, दिनांक 22.02.2020 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0- 977-कार्य/ चौदह-पाकालि/2020-3-के/2000-टी0सी0- 2018, दिनांक 24.07.2020 द्वारा प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रु0-45,000.00 एवं उस पर देय जी0एस0टी0 एवं अन्य कर के भुगतान की अनुमति प्रदान की गयी है।

एतद्वारा श्री गौरव सेन (अभि0 सं0-2017651, सम्प्रेक्षा सं0-जी-410, सैप आई0डी0-11003386), सहायक अभियन्ता, सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, मुख्यालय द्वारा दिनांक 21.01.2021 को विभागीय कार्य हेतु क्रय किये गये लैपटॉप की धनराशि रु0-42,364.41 व आई0जी0एस0टी0 रु0-7,625.59 सहित कुल रु0-49,990.00 की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

1. भुगतान की प्रथम किश्त रु0-16,945.60 व जी0एस0टी रु0-7,625.59 सहित कुल रु0 24,571.00 (रु0-चौबीस हजार पांच सौ इकहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2020-21 में की जायेगी।
2. प्रतिपूर्ति की द्वितीय एवं तृतीय किश्त के भुगतान के लिए निर्धारित अवधि के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त यथोचित आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
3. उक्त व्यय कारपोरेशन के चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्यय के संगत लेखाशीर्ष के नाम डाला जायेगा।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन)

संख्या-508-(1)अधि0प्रब0-03/पाकालि/2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, सम्बद्ध अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0।
- 2- निजी सचिव, सम्बद्ध निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0।
- 3- उप सचिव (कार्य), उ0प्र0पा0का0लि0, मुख्यालय।
- 4- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/मुख्यालय भुगतान) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार को भुगतान की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कराने एवं कृत कार्यवाही से अधिशासी प्रबन्ध अनुभाग-03 से अवगत कराने हेतु।
- 5-सहायक अभियन्ता (मुख्यालय), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन को अभिलेखों में अंकन व त्याग-पत्र/सेवानिवृत्ति पर हास घटाते हुए अवशेष के भुगतान पर ही अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गमन के समय उक्त लैपटॉप हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।
- 6- श्री गौरव सेन, सहायक अभियन्ता, सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(हिमांशु वार्णाय)
उप सचिव अ0प्र0-03)
[Signature]

प्रति: कट फाईल/कारपोरेशन की वेबसाईट में अपलोड हेतु।